आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री महावीर प्रसाद, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 29 से 34/ इंदौर /2021
निर्धारण वर्ष : 2014-15 (क्यू-1 से 4 : 24 क्यू) तथा
2015-16 (क्यू1, 2 : 24 क्यू)

डेप्युटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बनाना डेवलपमेंट, खंडवा	बनाम	आयकर उपायुक्त (टीडीएस), इंदौर तथा आयकर उपायुक्त-सीपीसी-टीडीएस
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
टैन सं.-बीपीएलडी03098 ई		

अपीलार्थी की ओर से	श्री अपूर्व मेहता, सीए
राजस्व की ओर से	श्री अमित सोनी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	22.11.2021
उद्घघोषणा तिथि	24.11.2021

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 (क्यू-1 से 4: 24 क्यू) तथा 2015-16 (क्यू1, 2 : 24 क्यू) से संबंधित निर्धारिती की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 ए के अधीन आदेश दिनांक 14.01.2019 के विरूध्द अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित है । चूंकि इन सभी अपीलों में समान तथ्य अंतर्ग्रस्त है अतः इन्हें इस समेकित आदेश द्वारा निपटान किया जा रहा है ।

2. ये सभी अपीलें तिमाही टीडीएस विवरणियों को दाखिल करने में विलंब के लिए धारा 234 ई के अधीन फीस के अधिरोपण के संबंध में है । सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने कतिपय माननीय उच्च न्यायालयों तथा अधिकरणों के आदेशों पर निर्भरता रखते हुए निवेदन किया कि वर्तमान प्रकरणों में टीडीएस विवरणी दाखिल करने की तारीख तथा धारा 200 ए के अधीन विवरणी संसाधित करने की तारीख 1 जून, 2015 के पहले की है । अतः समकक्ष न्यायपीठ इंदौर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक, बैतुल तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं.. 727/इंदौर/2017 तथा अन्य में आदेश दिनांक 13.11.2018 में निर्णय पूर्णतः निर्धारिती के पक्ष में आवृत्त है ।

3. दूसरी ओर विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों का खंडन नहीं कर पाये ।

4. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । वर्तमान अपीलें तिमाही टीडीएस विवरणियां दाखिल करने में विलंब के लिए धारा 234 ई के अधीन फीस के अधिरोपण से संबंधित है । यह विवादित नहीं है कि इन प्रकरणों में टीडीएस विवरणी दाखिल करने की तारीख तथा धारा 200 ए के अधीन विवरणी संसाधित करने की तारीख 1 जून, 2015 के पहले की है । वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा अधिनियम की धारा 200 ए के उपबंधों में 01.06.2015 से प्रभावी रूप में संशोधन किया था जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 200 ए के अधीन तिमाही विवरणी संसाधित करते समय टीडीएस विवरणी दाखिल करने में विलंब के लिए अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन फीस अधिरोपित की जा सकती है । विभिन्न माननीय न्यायालयों तथा अधिकरणों ने अभिधारिती किया है कि 01 जून, 2015 से पूर्व अधिनियम की धारा 200 ए

के अधीन संसाधित विवरणियों में अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन फीस का अधिरोपण न्यायसंगत नहीं है । इस न्यायपीठ द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक बैतुल (उपरोक्त) के प्रकरण में विभिन्न निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए धारा 234 ई के अधीन अधिरोपित इस प्रकार की फीस हटाई गई है । हमारे विचारपूर्ण अभिमत में, इस अधिकरण का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक बैतुल (उपरोक्त) प्रकरण में यह निर्णय वर्तमान अपीलों में लिए गए समान मुद्दों पर पूर्णतः लागू है । हमारा यह दृष्टिकोण निम्नलिखित न्यायिक आदेशों द्वारा भी समर्थित है -

1. फतेहराज सिंघवी तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य [2016] 73 टैक्समेन डॉट कॉम 252 (कर्नाटक) ।
2. पिक्सल पिक्चर्स प्रा.लि. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [WP No. 850/2017 तथा WP No. 15603-15613/2018] (कर्नाटक) ।
3. मध्य प्रदेश टुडे मिडिया लि. बनाम आयकर अधिकारी(टीडीएस)-1, इंदौर [आ.अ.सं. 574 से 579/इंदौर2019] आदेश दिनांक 24.11.2020 (आ.अ.अधि., इंदौर न्यायपीठ) ।
4. पिथमपुर पॉली प्रोडक्ट बनाम आयकर अधिकारी(टीडीएस)-1, इंदौर [आ.अ.सं. 711 से 714/इंदौर/2018] आदेश दिनांक 13.11.2019 (आ.अ.अधि., इंदौर न्यायपीठ) ।
5. सिला प्रोजेक्टस् मैनेजमेंट सर्विस प्रा.लि. बनाम सहायक आयकर आयुक्त, सीपीसी(टीडीएस) [आ.अ.सं. 1547 से 1556/मुंबई/2019] आदेश दिनांक 19.12.2019 (आ.अ.अधि., मुंबई न्यायपीठ) ।

5. उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायपीठ के पूर्ववर्ती आदेश का अनुसरण करते हुए, हम वर्तमान प्रकरणों में लिए गए आधारों को स्वीकृत करते हैं तथा अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन अधिरोपित फीस हटाते हैं । इस प्रकार निर्धारिती द्वारा दाखिल अपीलें स्वीकृत की जाती हैं ।

6. परिणामतः निर्धारिती की अपीलें स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 24.11.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(महावीर प्रसाद)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 24.11.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल